संख्या:43/2022/91/35-4-2023

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सुल्तानपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 17 जनवरी, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत अधिवक्ता चैम्बर के कार्य की स्वीकृति को निरस्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-सुल्तानपुर में शासनादेश सं0-47/2020/520/35-4-2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 द्वारा जनपद सुल्तानपुर सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण कार्य की रू. 62.59 लाख की लागत पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करते हुए पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी के पत्र सं0-673/ग्रा0अ0वि0/अधि0 चैम्बर्स नि0 कार्य/पत्रा0सं099/2022-23 दिनांक 26 सितम्बर, 2022 तथा आयुक्त अयोध्या मण्डल के पत्र सं0 3989/ग्रा0अभि0वि0/अधि0 चैम्बर्स नि0कार्य-सुल्तानपुर/पत्रा0सं0-512/2022-23 दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 द्वारा कतिपय कारण इंगित करते हुए उपरोक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्य को निरस्त किए जाने का प्रकरण संदर्भित किया गया। एतदद्वारा उपरोक्त कार्य की स्वीकृति को निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- जनपद सुल्तानपुर सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रूपए 62.59 लाख को नियमानुसार राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कर ट्रेजरी चालान सहित सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

3- शासनादेश सं0-47/2020/520/35-4-2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:43/2023/91(1)/35-4-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/न्याय विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, अयोध्या।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
9- मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुल्तानपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सुल्तानपुर।
13- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in